बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 01.02.2018 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में हुई SLBC SUB COMMITTEE ON INDUSTRY की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- विवरणी संलग्न।

(1). **PMEGP** :- पी०एम०ई०जी०पी०, एम०आई०एस० पोर्टल से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के भौतिक लक्ष्य 7125 एवं वित्तीय (मार्जिन मनी) लक्ष्य 14133.00 लाख के विरुद्ध अबतक 16828 आवेदनो को DLTFC से चयनित कराकर विभिन्न बैंको में भेजा गया है, इसका कुल मार्जिन मनी राशि 53013 लाख है। बैंको द्वारा अबतक मात्र 1729 ऋण आवेदनों की स्वीकृति की गई है, जिसका मार्जिन मनी राशि 4339.00 लाख है। प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है। बैंकवार प्रगति की समीक्षा की गयी। प्रमुख बैंको की स्थिति निम्नवत पायी गयी।

(राशि लाख में)

क्रं०	बैंक का नाम	लक्ष्य		प्रेषित आवेदन		स्वीकृति		बैंकों द्वारा अस्वकृति आवेदनों की संख्या	अभ्युक्ति/निदेश
		भौतिक	मार्जिन मनी	संख्या	मार्जिन मनी	संख्या	मार्जिन मनी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	S.B.I	1262	2474	3126	9282	234	504	1057	प्रधान सचिव द्वारा निर्देश-दिया गया कि जिन बैंको की प्रगति काफी असंतोषजनक है एवं अनावश्यक आपत्ति अंकित कर आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया है, उनके वरीय मैनेजमेन्ट को इसकी जानकारी दी जाय।
2.	P.N.B	784	1547	3530	12611	382	1396	2214	
3.	C.B.I	670	1322	1139	3648	99	280	492	
4.	B.O.I	505	1009	1132	3627	84	221	203	
5.	B.O.B	408	807	764	2407	87	281	266	
6.	Allahabad Bank	370	740	883	3193	97	327	379	
7.	Canara Bank	402	792	777	2416	116	281	407	
8.	Uco Bank	402	800	626	1538	40	48	717	

(अनुपालन संबंधित बैंक एवं उद्योग विभाग)

निजी क्षेत्र के बैंको की उपलब्धि काफी असंतोषजनक पायी गयी, जबकि राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा निजी क्षेत्र के बैंको को भी पी०एम०ई०जी०पी० अंतर्गत ऋण स्वीकृति करने हेतु अधिकृत किया गया है। इन बैंको की नकारात्मक रवैये के कारण लक्ष्यानुसार आवेदन पत्र सृजित नहीं हो पा रहा है।

अत प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों मे जमा सरकारी राशि निकालने हेतु प्रधान सचिव, वित्त विभाग को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन उद्योग विभाग)

पी०एम०ई०जी०पी०, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजनान्तर्गत युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण दिया जाता है। अतः सभी बैंकों को निदेश-दिया गया कि इस योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का ससमय निस्तारण कर लक्ष्यानुसार ऋण स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करें।

(अनुपालन सभी बैंक)

(2). **SIPB** :- प्रधान सचिव महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि वैसे प्रस्ताव जिन्हे राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्टेज-1. क्लियरेन्स दिया जा चूका है, लेकिन वित्त पोषण हेतु विभिन्न कारणो से बैंकों में ऋण प्रस्ताव लंबित है, उनपर प्राथमिकता के तौर पर कार्रवाई की जाय। इस संबंध में यह पाया गया कि बहुत सारे आवेदन विभिन्न बैंको/शाखाओं में वित्त पोषण हेतु विभिन्न स्तरों पर लंबित है। उप उद्योग निदेशक को SIPB से अनुमोदित प्रस्तावो, जिनपर ऋण स्वीकृति की कार्रवाई विभिन्न बैंक शाखाओं मे लंबित है, की सूची एवं सम्पर्क नम्बर/मोवाईल नम्बर संबंधित बैंको को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन सभी बैंक एवं SIPB)

कृ०प०उ०

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक..644../सं0सं0-02/उ0नि0/विविध-14-1 /2014 पटना,दिनांक..15.2.18.

प्रतिलिपि :- संबंधित सभी पदाधिकारियों/बैकर्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों/बैकर्स के ई0मेल आई0 डी0 पर भेजने हेतु प्रषित।

15/2/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

RANJAN KUMAR(SATISH SIR)478